प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 38/2009

जीवेंद्र प्रसाद तिवारी एवं अन्य .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य .... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 752/2009

राकेश कुमार गुप्ता एवं अन्य .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य .... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 975/2009

तेजमणि पटेल .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य .... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1108/2009

मणि प्रताप सिंह एवं अन्य .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य .... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1061/2009

नरेश कुमार चंद्रा एवं अन्य .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य .... **उत्तरवादीगण**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 554/2009

सतीश चंद्र मिश्रा एवं अन्य .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य .... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक 05.04.2009 को सूचीबद्ध किया जाए।

सही/—
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश
09.04.2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 38/2009

1. जीवेन्द्र प्रसाद तिवारी, पिता श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हसदेव क्षेत्र, उप क्षेत्र बिजुरी, जिला सरगुजा (अब कोरिया) [छत्तीसगढ़]।

2. शिव कुमार पटेल, पिता श्री राम प्रताप पटेल, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम मनगवां, जिला रीवा रीवा (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

3. इंद्र लाल पटेल, पिता श्री राम सुमिरन पटेल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम चांगवे पोस्ट पुरबा, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

4. नरेन्द्र कुमार पटेल, पिता श्री बुद्धसेन पटेल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट उमरी, थाना रायपुर, जिला. रीवा (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

5. राजेश प्रसाद सोनी, पिता श्री गिरीश प्रसाद सोनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम चंदेह पोस्ट दुबगवां, थाना मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (वेल्डर), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

6. वंशपति पटेल, पिता श्री राम कुमार पटेल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम परसा, पोस्ट उमरी, थाना मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

7. राजेश तिवारी, पिता श्री एस.एन. तिवारी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट पलाह, थाना लोर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. विष्णुकांत पटेल, पिता श्री रामेश्वर प्रसाद पटेल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट देवगवां व्हाया मनगवां, जिला (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

9. कृष्णा नंद शर्मा, पिता श्री राम मिलन शर्मा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम भरजोदपुर, पोस्ट देवगवां , थाना मनगवां जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

10. श्रीकांत शर्मा, पिता श्री त्रिवेणी शर्मा, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम मरजादपुर, पोस्ट देवगवां, थाना मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

11. भूपेंद्र सिंह, पिता श्री दल प्रताप सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट बेलवा पीकन, थाना मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. नामचंद्र दुबे, पिता श्री शंभू प्रसाद दुबे, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट देवगवां, व्हाया मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया [छत्तीसगढ़]।

13. हेतलाल सिंह, पिता श्री अजायब लाल सिंह, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम खमरिया, पोस्ट औडवा, थाना पंवार, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ [छत्तीसगढ़]।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।

2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।।

3. निदेशक (कार्मिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. उप मुख्य कार्मिक (श्रम), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

.... उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 752/2009

1. राकेश कुमार गुप्ता, पिता श्री गणेशदीन गुप्ता, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट खटखरी, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

2. द्वारिका प्रसाद श्रीवास्तव, पिता श्री वंशमणि प्रसाद श्रीवास्तव, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट व खटखरी, तहसील हनुमना, जिला, रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई., अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. राज कुमार पटेल, पिता श्री राम गोपाल पटेल, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट हरदी, तहसील गुढ़, जिला रीवा, पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन, एस.ई.सी.एल., बिश्रामपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

4. कुंदम कुमार सिंह, पिता श्री सूर्यभान सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट कुनियाकला, तहसील तेंथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन) एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

5. दया शंकर सिंह, पिता श्री राम गोपाल सिंह, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी डी.एम.क्यू. 167, जी.एम. कार्यालय के सामने, बिश्रामपुर (अंबिकापुर जिला कोरिया (छत्तीसगढ़), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (सीट मेटल), एस.ई.सी.एल., बिश्रामपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

6. बद्री प्रसाद दहिया, पिता श्री दशरथ प्रसाद दहिया, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी रेलवे कॉलोनी, वार्ड नंबर 6, धनपुरी, जिला शहडोल (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (टर्नुर), एस.ई.सी.एल., बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

7. वीरेंद्र कुमार पटेल, पिता श्री हर प्रसाद पटेल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बुढ़वा, तहसील रायपुर करेहुलियान, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (डीजल मैकेनिक), एस.ई.सी.एल. बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

8. सर्व सुख सिंह, पिता श्री एस.एन. सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट मनिका, तहसील तेंथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन) एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

9. नरेंद्र बहादुर सिंह, पिता श्री सुरेश मणि सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट जुड़मनीबया देवतालाब, तहसील-मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन) एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. रामजी विश्वकर्मा, पिता श्री राम स्वरूप विश्वकर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम बेल्हा, पोस्ट तमरा, तहसील-मुजुर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (ब्लैक स्मिथ) एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

11. प्रेम लाल विश्वकर्मा, पिता श्री मनफर विश्वकर्मा, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम बघौड़ी, पोस्ट सुगलवार, तहसील सिहवाल, जिला सीधी (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. प्रशिक्षु (इलेक्ट्रीशियन) एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

12. हीरेंद्र सिंह, पिता श्री अवध राज सिंह, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी बागबार कॉलोनी, क्वार्टर क्रमांक एम/394, पोस्ट बेम्हौरी, जिला शहडोल (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. प्रशिक्षु (मोटर मैकेनिक) एस.ई.सी.एल. बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

13. कृष्ण प्रकाश श्रीवास्तव, पिता श्री एस.पी. श्रीवास्तव, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बड़ी महगीत के पीछे, सोहागपुर, वार्ड क्रमांक 4, जिला शहडोल (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (मोटर मैकेनिक) एस.ई.सी.एल. बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

14. यदुबंश सिंह, पिता श्री बृज नंदन सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट झालवार, व्हाया-बड़ी सामरिया, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस

(इलेक्ट्रीशियन) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

15. तेज प्रताप सिंह, पिता श्री मोहन लाल सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम मादरो, पोस्ट परसिया, तहसील तेंथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन) एस.ई.सी.एल. बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

16. देवेंद सिंह, पिता श्री राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम दहिया (खुर्द) पोस्ट बाबा की बाड़ी, तहसील तेंथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (मोटर मैकेनिक) एस.ई.एस.एल. चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

17. अरुण कुमार द्विवेदी, पिता श्री देव कुमार द्विवेदी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम बरौली, पोस्ट जावा, तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (सीट मेटल), एस.ई.एस.एल., बिश्रामपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. लक्ष्मी नारायण वर्मा, पिता श्री कुमारी वर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बड़े रबेली, तहसील मालखरौदा. जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.एस.एल., रायगढ़ क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

19. कृष्ण चन्द्र सिंह, पिता श्री राम पाल सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम लखवार, पोस्ट कोटराकला, तहसील तेंथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन) एस.ई.एस.एल. भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

20. राज हंसराज सिंह, पिता श्री अमरजीत सिंह, आयु लगभग 37, निवासी ग्राम पुष्प नगर, बड़ी पुल के पास रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन) एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

21. कृष्ण वर्ष कुमार सिंह, पिता श्री जगदीश सिंह, उम्र लगभग 35, निवासी ग्राम उचेहरा, पोस्ट बाराती, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर) एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।

2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।।

3. निदेशक (कार्मिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. उप मुख्य कार्मिक (श्रम), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

.... उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 975/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. तेजमणि पटेल, पिता श्री अर्जुन प्रसाद पटेल, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम देवरा, पोस्ट खटखरी, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

2. शिव नंद चंद्रा, पिता श्री अनुज राम चंद्रा, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम भदोरा, पोस्ट पिरदा, तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., रायगढ़ क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

3. अंजनी कुमार पटेल, पिता श्री तिलकधारी पटेल, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम पटेहरा, व्हाया मऊगंज, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

4. राकेश कुमार सिंह, पिता श्री राकेश सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम शिवनंदनपुर, पोस्ट विश्रामपुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

5. ऋषि राज सिंह, पिता श्री जगतपाल सिंह, उम्र लगभग 36, निवासी ग्राम तहसील व जिला उमरिया (म.प्र.), पूर्व- आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

6. कृष्ण पाल सिंह, पिता श्री राम बिहारी सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम, तहसील व जिला उमरिया (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., बैकुंठपुर क्षेत्र,

जिला (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

7. बाल गौतम गोविंद, पिता श्री बाल्मीक गौतम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट अमिलिकी, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., सोहागपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

8. राम शरण सिंह, पिता श्री जगदीश प्रसाद सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट कटोराकला, तहसील तेथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व.-आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रॉनिक्स), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

9. महेंद्र प्रसाद पटेल, पिता श्री राम कुमार पटेल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम बन्नी, पोस्ट जुड़मनिया, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व- आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।

2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।।

3. निदेशक (कार्मिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. उप मुख्य कार्मिक (श्रम), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

.... उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1061/2009

1. नरेश कुमार चंद्रा, पिता श्री रेशम लाल चंद्रा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम काठेकोनी-खुआड़, तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस

(इलेक्ट्रीशियन), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

2. गोरे लाल श्रीवास, पिता साहेब लाल श्रीवास, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम दातोद, तहसील जीजपुर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (ट्रैक्टर मैकेनिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सी.डब्ल्यू.एस. कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

3. गिरधर गोपाल चंद्रा, पिता फिरतू राम चंद्रा, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट खजुरानी, तहसील जीजपुर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (डीजल मैकेनिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सी.डब्ल्यू.एस. कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

4. गेंद सिंह गोंड, पिता महासिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम बेलहाडीह, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हसदेव क्षेत्र, जिला शहडोल (म.प्र.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. चमरू सिंह सिदार, पिता सुखरू सिंह, उम्र लगभग 10 वर्ष, निवासी ग्राम सपनाईपाली, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

6. मनहरण लाल सिदार, पिता धनाराम सिदार, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम कोटेतरा, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हसदेव क्षेत्र, जिला शहडोल (म.प्र.)।

7. घनश्याम प्रसाद साहू, पिता फिरतू राम साहू, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट हरदी (जरी) तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

8. चंद्रकांत साहू, पिता सुंदर लाल साहू, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट मिस्दा व्हाया शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व- आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

9. पवन सिंह पैकरा (कंवर), पिता फूल सिंह पैकरा, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम सकराली-खुर्द, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), साउथ कोलफील्ड्स लिमिटेड, हसदेव क्षेत्र, जिला शहडोल (म.प्र.)।

10. कुशल कुमार सोनवानी, पिता उदल सोनवानी, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट मानिकपुर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

11. रविशंकर गबेल, पिता ननकीराम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम पोटा, तहसील मालखरौद, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

12. किशोर कुमार साव, पिता कन्हैया लाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम जबलपुर, तहसील व, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), दक्षिण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. भूपेन्द्र कुमार साहू, पिता दिगम्बर लाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम मुड़पार, तहसील शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व- आई.टी.आई. अपरेंटिस (ड्राफ्ट्समैन/मेक.), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, गेवरा क्षेत्र, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

14. छेदूराम बघेल, पिता स्वर्गीय श्री मेहत्तर लाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम बिर्रा, तहसील जीजपुर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (मैकेनिस्ट), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, गेवरा क्षेत्र, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

15. राम सुशील पटेल, पिता अभिमन्यु, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम द्वारा वी.के. पटेल, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक, पशु चिकित्सालय, तखतपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

16. सूरज कुमार बंजारे, पिता सुंदर लाल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती, आदिल चौक, जिला जंजीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (सर्वेयर/सिविल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।

2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।।

3. निदेशक (कार्मिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. उप मुख्य कार्मिक (श्रम), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

.... उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1108/2009

1. मणि प्रताप सिंह, पिता श्री अनिरुद्ध सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम कुठिला, पोस्ट बसरेही, थाना अतरालिया, तहसील तेहथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

2. कुशल प्रसाद पटेल, पिता श्री वंश गोपाल पटेल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट धनगन, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (छत्तीसगढ़) पूर्व- आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया।

3. प्रेम लाल सिंह, पिता श्री इंद्रभान सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट कुठिला, तहसील तेंथर, जिला रीवा (म.प्र.),पूर्व- आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., जोहिला क्षेत्र (म.प्र.)।

4. राम सुमिरन पटेल, पिता श्री हरिभान पटेल, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम देवास, तहसील-सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.) पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., सोहागपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

5. उग्रसेन पटेल, पिता श्री राम कुमार पटेल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम डिही, पोस्ट खजुहाकोला, तहसील-हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (वेल्डर), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

6. राम टहल पटेल, पिता श्री गिरिजा प्रसाद पटेल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट पहरखा, तहसील-गंगाइव, जिला रीवा (म.प्र.) पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

7. नागेंद्र कुमार सिंह, पिता श्री राम लखन सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष निवासी ग्राम एवं पोस्ट जुड़मनिया बाया देवतालाब, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. गोविंद नारायण सिंह, पिता श्री राज बहादुर सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट पेकन (गांव), तहसील-मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

9. राजेंद्र प्रसाद चंद्रा, पिता श्री बेद राम चंद्रा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट जैजैपुर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

10. महेश सिंह, पिता श्री राम सिया सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट परसिया, तहसील तेथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., सोहागपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

11. राम सुमिरन पटेल, पिता श्री राम भरोसे पटेल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बरसेड़ा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर) एस.ई.सी.एल., सोहागपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

12. अरुण कुमार सिंह, पिता श्री संभू सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी क्वार्टर क्रमांक 1764, तीन मंज़िला, पोस्ट चरचा, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

13. भीमसेन पटेल, पिता श्री शिव प्रसाद पटेल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम रजिगवां, पोस्ट खेराकांकेशरा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

14. शेष नारायण तिवारी, पिता श्री राज कुमार तिवारी, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी सी.एम.पी.डी.सी. क्वार्टर क्रमांक 54, तहसील बिजुरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अविनाश चंद मिश्रा, पिता श्री राम सुशील मिश्रा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट बहेरी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

16. प्रदीप कुमार गौतम, पिता श्री राजेश्वरी प्रसाद गौतम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम चंदेह, पोस्ट नईगढ़ी, तहसील मऊगंज, रीवा (म.प्र.), पूर्व- आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

17. ब्रिजेश कुमार सिंह, पिता श्री भैया लाल सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम ढोढकिया, पोस्ट चाऊ खंडा, तहसील तेथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व- आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

18. मान बहादुर सिंह, पिता श्री भैया लाल सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर, पोस्ट गढ़ी (सोहरवा), तहसील तेथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस(इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., बैकुंठपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

19. बुद्धसेन प्रसाद पटेल, पिता श्री कालू प्रसाद पटेल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरवा, पोस्ट सुजवार, तहसील मौगांवा, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., भटगांव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

20. विजय कुमार पटेल, पिता श्री गया प्रसाद पटेल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम सलैया, पोस्ट मझगांव, तहसील सिरमौर, जिला (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., विश्रामपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

21. बृज किशोर मिश्रा, पिता श्री हनुमान प्रसाद मिश्रा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम धवैया, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., हसदेव क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

22. सामंत कुमार शास्त्री, पिता श्री गोरे लाल शास्त्री, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम बैमा (नागोई) व्हाया एस.ई.सी.एल. जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

23. राजेंद्र सिंह, पिता श्री राम गरीब सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बसरेही, तहसील तेंथर, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., सोहागपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. बिशेश्वर प्रसाद भानु पिता श्री लिखड़ राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम भक्तुडेरा, पोस्ट लोवसरा, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., सोहागपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

25. बेदराम गोंड पिता श्री भोगी लाल गोंड, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम भदरीपाली (लोवसरा), तहसील सक्ती जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., सोहागपुर क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

26 कमल साय कर्ष, पिता श्री गयाराम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम पथसरा, पोस्ट कोटेतरा, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन), एस.ई.सी.एल., रायगढ़ क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

27. सत्यपाल सिंह, पिता श्री हरि प्रसाद सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम सिखा, पोस्ट नांतला, तहसील विजय राघव गढ़, जिला कटनी (म.प्र.), पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

28. रमेश कुमार पटेल, पिता श्री राम सेवक पटेल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम बहेरी, पोस्ट ढेरा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.), पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।

2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।।

3. निदेशक (कार्मिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. उप मुख्य कार्मिक (श्रम), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.... उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 554/2009

1. सतीश चंद्र मिश्रा, पिता श्री जी.एस. मिश्रा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी सत्तीपारा कर्बला के पास, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व- आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर), एस.ई.सी.एल., बिश्रामपुर क्षेत्र (सरगुजा) छत्तीसगढ़।

2. संतोष सिंह, पिता विजेंद्र नाथ, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी के.के. सिंह (लड्डू बाबू) सत्तीपारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व-आई.टी.आई. एस.ई.सी.एल., बटगांव क्षेत्र (सरगुजा) छत्तीसगढ़।

3. सतीश कुमार सिन्हा, पिता केदार नाथ सिन्हा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी पोस्ट राघवपुरी, मनेंद्रगढ़ रोड, होटल शैलगिरी के सामने, मनेंद्रगढ़ रोड अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस (फिटर) एस.ई.सी.एल., बिश्रामपुर क्षेत्र (सरगुजा) छत्तीसगढ़।

4. ज्ञानचंद सोनी, पिता श्री राम सागर सोनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी रिंग रोड नमनाकला, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र (सरगुजा) छत्तीसगढ़।

5. देवांशु बेपारी, पिता सुधीर चंद्र बेपारी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे, सत्तीपारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस, एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

6. सूरज मुखर्जी पिता बिमल मुखर्जी, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी धनगांव, पोस्ट तातापानी व्हाया बलरामपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस एस.ई.सी.एल., चिरमिरी क्षेत्र, सरगुजा, छत्तीसगढ़।

7. शरद चंद्र द्विवेदी पिता हरप्रसाद द्विवेदी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट संघरा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस एस.ई.सी.एल., बटगांव क्षेत्र जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. कृष्ण कुमार कुशवाहा, पिता गुरु दयाल कुशवाहा, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी करजी दरिमा रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस एस.ई.सी.एल., बिश्रामपुर क्षेत्र, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

9. राहुल कुमार श्रीवास्तव, पिता भैया लाल श्रीवास्तव, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी पुस्कर गैस गोदाम के पास, हेहरू नगर रीवा, मप्र, पूर्व-आई.टी.आई. अपरेंटिस, एस.ई.सी.एल., बिश्रामपुर क्षेत्र (सरगुजा) छत्तीसगढ़।

10. मुन्ना लाल जयसवाल, पिता ठाकुर प्रसाद जयसवाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट महघई व्हाया लखनपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस, एस.ई.सी.एल., (सरगुजा) छत्तीसगढ़।

11. अशोक कुमार गुप्ता, पिता श्री दशरथ साव, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी नामना रिंग रोड, महामाया पेट्रोल पंप के पीछे, अरोरा टाइल्स के पास, अंबिकापुर, सरगुजा, पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस एस.ई.सी.एल., बैकुंठपुर क्षेत्र (सरगुजा) छत्तीसगढ़।

12. रामेश्वर कुमार शर्मा, पिता श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी आई.टी.आई. कॉलोनी के पीछे, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व आई.टी.आई. अप्रेंटिस एस.ई.सी.एल., बटगांव क्षेत्र (सरगुजा) छत्तीसगढ़।

13. ओम प्रकाश पांडे, पिता जगदीश प्रसाद पांडे, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी चन्द्रशेखर आज़ाद वार्ड, अंबिकापुर, चर्च के सामने, द्वारा उमाकांत पांडे, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पूर्व आई.टी.आई. अपरेंटिस, एसईसीएल, (सरगुजा) छत्तीसगढ़।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।

2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।।

3. निदेशक (कार्मिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. उप मुख्य कार्मिक (श्रम), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

.... उत्तरवादीगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 38/2009 में : श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, 752/2009, 975/2009 & 1108/09 सहित श्री आशीष श्रीवास्तव अधिवक्ता।

में याचिकाकर्ताओं की ओर से

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1061/2009 में : श्री एफ.एस. खरे, अधिवक्ता।

में याचिकाकर्ता की ओर से।

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 554/2009 में : श्री सी.जे.के. राव, अधिवक्ता।

में याचिकाकर्ता की ओर से।

सभी रिट याचिकाओं में उत्तरवादीगण की ओर से : श्री पी. एस. कोशी, अधिवक्ता।

आदेश

(09.4.2009)

धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. याचिका क्रमांक 38/2009, 752/09, 975/2009, 1061/09, 1108/09 और 554/09 का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादीगण के विरुद्ध एक समान शिकायतें की हैं और एक समान अनुतोष की भी प्रार्थना की है। हालाँकि, इस आदेश में याचिका क्रमांक 38/09 में किए गए अभिवचनों का संदर्भ दिया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाओं, जवाबदावा के प्रत्युत्तर और मौखिक तर्क में यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1961') के अंतर्गत योग्य आई.टी.आई. प्रशिक्षित प्रशिक्षु हैं। उन्हें 1996-98 के बीच अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आई.टी.आई. प्रशिक्षित प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था और उत्तरवादी-एस.ई.सी.एल. के अंतर्गत विभिन्न कोयला खदानों में पदस्थ किया गया था। प्रशिक्षु प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, उम्मीदवार को राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित एक परीक्षा देनी होती है और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, अधिनियम, 1961 की धारा 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय परिषद द्वारा दक्षता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। उत्तरवादी-कोल इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में 'सी.आई.एल'.) ने अपनी अनुषांगिक कंपनियों के अंतर्गत प्रशिक्षित तकनीशियनों की नियुक्ति हेतु सामान्य मजदूर श्रेणी-I (संक्षेप में 'सामान्य मजदूर') के कई पद स्वीकृत किए। याचिकाकर्तागण अपने-अपने संघो के माध्यम से सामान्य मजदूर के पद पर नियुक्ति के साथ-साथ दक्षता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर रहे थे और उत्तरवादी-एस.ई.सी.एल. प्रबंधन द्वारा भी इस संबंध में पूर्व में आश्वासन

दिए गए थे। उत्तरवादी-एस.ई.सी.एल. प्रबंधन ने सी.आई.एल., कोलकाता को आई.टी.आई. प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं द्वारा भरे जाने हेतु सामान्य मजदूर के 450 पद स्वीकृत करने की भी अनुशंसा की थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***यू.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम उ.प्र. परिवहन निगम शिक्षक बेरोजगार संघ एवं अन्य***[1] के मामले में सी.आई.एल. के अंतर्गत विभिन्न अनुषांगिक कोयला कम्पनियों में सामान्य मजदूरों की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने याचिका क्रमांक 1357/02 प्रस्तुत की थी, जिसका निराकरण आदेश दिनांक 8.11.2005 (अनुलग्नक-पी/5) के द्वारा किया गया था, जिसमें उत्तरवादीगण को निर्देश दिया गया था कि वे याचिकाकर्ताओं के जनरल मजदूर के पद पर संविलयन और नियमितीकरण के मामलों पर तत्काल विचार करें। उत्तरवादीगण को जनरल मजदूर के पद पर नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध में ढील देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया था। उत्तरवादी-सी.आई.एल. द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन, जो एम.सी.सी. क्रमांक 254/05 को भी आदेश दिनांक 28.04.2006 द्वारा निरस्त कर दिया गया था (अनुलग्नक-पी/6)।

उत्तरवादी-सी.आई.एल. ने अनुलग्नक-पी/5 और पी/6 के आदेशों के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील क्रमांक 1714/07 प्रस्तुत किया था। आदेश दिनांक 29.3.2007 के द्वारा अपील का निराकरण यह अवधारित करते हुए किया गया कि प्रबंधन का प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को संस्थान में रोज़गार देने या उनका संविलयन करने का कोई दायित्व नहीं है। इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश पूरी तरह से गलत है और अपास्त किए जाने योग्य है। हालाँकि, यदि नियमित नियुक्तियों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन किया जाता है और सब कुछ एक समान रहता है, तो प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वरीयता दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस प्रकार उनकी अपेक्षाएँ न्यायसंगत हैं। यह भी

1 (1995) 2 SCC 1

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवधारित किया गया है कि यदि पदधारियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, तो उनके दक्षता प्रमाणपत्र को रोकने का कोई कारण नहीं है।

उत्तरवादीगण ने एस.ई.सी.एल. में सामान्य मजदूरों की भर्ती और नियुक्ति के लिए दिनांक26.6.2008 को विज्ञापन जारी किया (अनुलग्नक-पी/9) और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की चयन सूची दिनांक 17.10.2008 (अनुलग्नक-पी/10) और दिनांक21.12.2008 (अनुलग्नक-पी/11) प्रकाशित की है। उत्तरवादीगण द्वारा अपनाई गई भर्ती की उपरोक्त प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है। उत्तरवादीगण ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की है और स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र उम्मीदवारों को चयन करते हुए अनुलग्नक पी/10 और पी/11 के अनुसार उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई निर्देशों के विपरीत है। आगे यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी प्रशिक्षुओं की सूची, जिन्होंने प्रशिक्षु प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है,, अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय परिषद प्राधिकरण को अग्रेषित करने के लिए बाध्य थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिन उम्मीदवारों के नाम अनुलग्नक पी/10 और पी/11 में दिए गए हैं, उनमें से कई निर्धारित आयु भी पार कर चुके हैं। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र भी जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें इस आधार पर नियुक्ति देने से मना कर दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि उत्तरवादी सी.आई.एल. ने प्रतिबंध अवधि के दौरान अनुलग्नक पी/15 और पी/16 के द्वारा कम से कम 246 व्यक्तियों की नियुक्ति की थी। श्री शिव कुमार सोनी को इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1681/1999 में जारी निर्देशों के आधार पर अनुलग्नक पी-12 दिनांक 3.1.2007 के द्वारा श्री शिव कुमार सोनी को जनरल मजदूर के पद पर नियुक्त किया गया था।

उत्तरवादी एस.ई.सी.एल. ने आई.टी.आई. प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की जनरल मजदूर के पद पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की पुरजोर सिफारिश की थी, हालाँकि, उत्तरवादी सी.आई.एल. ने अपने पत्र दिनांक 16.10.2008 के माध्यम से इसे अस्वीकार कर दिया था। उत्तरवादी-एस.ई.सी.एल. ने अपने ज्ञापन दिनांक 07.01.2009 के माध्यम से ऊपरी आयु सीमा में छूट की फिर से सिफारिश की, और उत्तरवादी सी.आई.एल. ने अपने ज्ञापन दिनांक 09.01.2009 के माध्यम से इसे फिर से अस्वीकार कर दिया। वर्ष 1996-97 और 1998 में कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति के उदाहरणों का हवाला देते हुए, यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं के साथ जनरल मजदूर के पद पर नियुक्ति के मामले में भेदभाव किया गया है।

3. उत्तरवादीगण ने अपने जवाबदावा में और मौखिक तर्कों में भी इस आरोप से इनकार किया है कि अनुलग्नक पी/10 और पी/11 में आने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके चयन से संबंधित है, यह केवल योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की सूचना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 1714/07 में पारित आदेशों का उत्तरवादीगण अनुपालन कर रहे हैं। उत्तरवादीगण दक्षता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं, क्योंकि यह अधिनियम, 1961 की धारा 21 के अनुसार राष्ट्रीय परिषद द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय परिषद को उत्तरवादी के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ताओं सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को पहले ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। यह स्थापित विधि है कि प्रशिक्षु एक कामगार नहीं है और उत्तरवादीगण की ओर से किसी भी प्रशिक्षु को रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं है, जिसने उनके प्रतिष्ठान में प्रशिक्षु प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। याचिकाकर्ता केवल तभी अधिमान्य नियुक्ति के हकदार हैं जब अन्य बातें समान हों। यहाँ याचिकाकर्ताओं के नाम अनुलग्नक पी/10 और पी/11 की चयन सूचियों में शामिल नहीं किए जा सके क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उनके आवेदनों की जाँच के बाद, उत्तरवादीगण के साथ उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण अवधि में उचित छूट दिए जाने के बाद भी, वे अधिकतम स्वीकार्य आयु से अधिक आयु के पाए गए। श्री शिव कुमार सोनी के मामले पर इस न्यायालय के निर्देशों के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आलोक में विचार किया गया था और इसलिए उनके मामले को विधि के तौर पर उद्धृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.3.2007 के द्वारा याचिकाकर्ताओं के मामले का निर्णय किया था।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

5. यह पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, पिछले दौर में याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को इस न्यायालय ने पिछली कंडिकाओं में दिए गए कुछ निर्देशों के साथ निराकरण कर दिया था। उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका भी इस न्यायालय ने खारिज कर दी थी, हालाँकि, उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार कर लिया था:-

> ".........जब प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो प्रबंधन के लिए उसे प्रतिष्ठान में रोजगार/संविलयन देने की कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश पूरी तरह से गलत है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि नियमित नियुक्ति के लिए रिक्तियों का विज्ञापन किया जाता है और सब कुछ समान है, तो इस प्रतिष्ठान द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वरीयता दी जा सकती है क्योंकि उन्होंने इस प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उनकी वैध अपेक्षाएं हैं।"
>
> "यदि पदधारियों ने पहले ही सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, तो उनके दक्षता प्रमाणपत्र को रोकने का कोई कारण नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उत्तरवादीगण ने चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है और कुछ ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर लिया है जिनके नाम अनुलग्नक पी/10 और पी/11 की चयन सूचियों में हैं और उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों और निर्देशों के विपरीत है।

6. **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य**[1] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रशिक्षुओं द्वारा सफलतापूर्वक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात रोजगार पाने के दावे पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है:

"12. उपरोक्त उल्लेखित पृष्ठभूमि में, हम यह स्पष्ट करते हैं कि प्रशिक्षुओं द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात रोजगार पाने के दावे पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा:

(1) अन्य बातें समान होने पर, प्रशिक्षित प्रशिक्षु को सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों पर वरीयता दी जानी चाहिए।

(2) इसके लिए, प्रशिक्षु को किसी रोजगार कार्यालय द्वारा अपना नाम प्रायोजित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। **'भारत संघ वी. एन. हरगोपा**[1] मामले में इस न्यायालय का निर्णय इसकी अनुमति देता है।

(3) यदि प्रशिक्षु के लिए आयु सीमा आड़े आती है, तो संबंधित सेवा नियम में इस संबंध में जो कुछ भी कहा गया है, यदि कोई हो, उसके अनुसार उसे शिथिल किया जाएगा। यदि सेवा नियम इस पहलू पर मौन है, तो उस अवधि तक छूट दी जाएगी जिसके लिए प्रशिक्षु ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

(4) संबंधित प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार सूची बनाए रखेगा। पहले प्रशिक्षित व्यक्तियों को बाद में प्रशिक्षित व्यक्तियों से वरिष्ठ माना जाएगा। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के बीच, उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो वरिष्ठ हैं।

13. जहाँ तक विचाराधीन मामलों का संबंध है, हम पाते हैं कि निगम ने सिविल अपील क्रमांक 4347-4354/1990 में (न्यायालय के आदेशानुसार) दिनांक 20-10-1992 को, एक अतिरिक्त शपथपत्र प्रस्तुत किया था। यदि ऐसे पद अभी भी रिक्त हैं, तो हम निगम को प्रशिक्षुओं के अधिकारों के संबंध में ऊपर बताए गए अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षुओं के मामलों पर विचार करते समय, निगम के सेवा विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिवाय इसके कि प्रशिक्षुओं को विनियमों द्वारा निर्धारित किसी भी लिखित परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षुओं के मामले पर विचार करने से पहले, रोजगार कार्यालय द्वारा उनके नाम प्रायोजित करने की आवश्यकता पर बल नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक आयु संबंधी आवश्यकता का संबंध है, उसमें ऊपर बताए अनुसार छूट दी जाएगी।"

7. ***केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य बनाम सजल कुमार रॉय एवं अन्य***[2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि ऊपरी आयु सीमा में छूट के मामले में विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग संबंधित नियमों के अंतर्गत और उसके दायरे में किया जा सकता है और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को आयु में छूट के लिए निर्देश जारी करना अस्वीकृत कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इस मामले में उत्तरवादीगण का स्पष्ट रुख यह है कि सामान्य मजदूर के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर विचार किया गया था, उनके आवेदनों पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विधिवत कार्यवाही की गई थी, जिसने याचिकाकर्ताओं के विवरणों के सत्यापन के बाद पाया कि उत्तरवादीगण के साथ उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण अवधि की सीमा तक छूट देने के बाद भी उनकी आयु अधिक है, और इसलिए, उन्हें बुलावा पत्र जारी नहीं किए जा सके। यह भी उल्लेख किया गया है कि अकार्यकारी पदों के लिए चयन की अधिकतम आयु सीमा सामान्य उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) उम्मीदवारों के लिए 33 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एस.सी./एस.टी.) श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष है। याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रत्युत्तर में उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं किया है।

9. जहां तक **उ. प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य**[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, जिस पर पक्षकारों ने अवलंब लिया है, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख

---

2 (2006) 8 SCC 671

किया गया है कि यदि प्रशिक्षुओं के रास्ते में आयु सीमा आती है, तो संबंधित सेवा नियमों में इस संबंध में जो कुछ भी कहा गया है, यदि कोई हो, उसके अनुसार छूट दी जाएगी, और यदि सेवा नियम इस पहलू पर मौन हैं, तो प्रशिक्षु ने जितनी अवधि के लिए प्रशिक्षण लिया है, उस सीमा तक छूट दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं के भर्ती मामलों पर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि में छूट देने के बाद भी आयु सीमा के कारण विचार नहीं किया जा सका, याचिकाकर्ताओं की शिकायत कि उत्तरवादीगण ने इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चयन प्रक्रिया शुरू की है, निराधार प्रतीत होती है।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया है कि 1995-98 के बीच प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को जनरल मजदूर के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र जारी किए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बहाने उनकी नियुक्ति के मामलों पर विचार नहीं किया जा सका। हालाँकि, उत्तरवादीगण ने इस प्रतिबंध को कभी नहीं माना , क्योंकि वे प्रतिबंध अवधि के दौरान जनरल मजदूर के पद पर अपनी पसंद के आधार पर नियुक्ति करते रहे। उत्तरवादीगण के अनुसार, प्रतिबंध अवधि के दौरान भी नियुक्ति आदेश जारी किए गए और उत्तरवादियों की स्वीकरोति के अनुसार और वैश्विक वरिष्ठता के गठन के बाद वर्ष 2000-01 में 246 नियुक्तियाँ की गईं। फिर भी, याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने से अत्यंत मनमाने तरीके से मना कर दिया गया।

कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य[3] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह साबित करने में सक्षम रहे हैं कि उत्तरवादी कंपनी की कार्यवाही बिना किसी ठोस कारण के है क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं है जिस पर यह आधारित है या यह शक्ति के प्रयोग की निर्धारित पद्धति के विपरीत या अनुचित है। याचिकाकर्ता बार-बार प्रतिबंध

3 (1991) 1 SCC 212

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवधि के दौरान उत्तरवादीगण द्वारा की गई नियुक्तियों का विवरण मांग रहे हैं और उत्तरवादीगण का यह कर्तव्य है कि वे मांगी गई जानकारी का खुलासा करें ताकि यह दिखाया जा सके कि नियुक्तियां ठोस सिद्धांत पर और उचित कारणों से की गई थीं। चूंकि उत्तरवादीगण के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनमानी का मामला बनता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को नियुक्त न करने का उत्तरवादीगण का कदम मनमाना है और इसे अभिखंडित किया जाना चाहिए।

11. यह उसी प्रकार के अनुतोष के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है। उत्तरवादीगण के विरुद्ध भेदभाव का आरोप उत्तरवादीगण द्वारा 2000-01 और उसके बाद 2005 तक की गई कुछ नियुक्तियों पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तओं को सुनने के बाद उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील को स्वीकार कर लिया और उत्तरवादीगण को निर्देश दिया कि जब भी नियमित नियुक्ति के लिए रिक्ति विज्ञापित की जाए और सब कुछ समान रहने पर, प्रतिष्ठान द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वरीयता दी जा सकती है, और उपरोक्त आदेश से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, अन्य कर्मचारियों की कथित भेदभावपूर्ण नियुक्तियों पर आधारित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपरोक्त तर्क पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार नहीं किया जा सकता है।

12. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता इन याचिकाओं में दावा की गई किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं हैं। ये याचिकाएँ सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/—
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur